कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़।

(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

न्यायिक अधिष्ठान अलीगढ़ में कर्मचारीगण की कमी और न्यायालयों के निर्विघ्न सुचारु संचालन के दृष्टिगत, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्याः- 14/एडमिन 'डी' सैक्शन दिनांकितः- 15.10.2022 में निहित पुनर्नियुक्ति विषयक निर्देशों के अधीन न्यायिक अधिष्ठान, अलीगढ़ से सेवानिवृत्त -

(क) तृतीय श्रेणी सेवा संवर्ग कर्मचारीगण में से ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो (जो कम्प्यूटर संचालन की योग्यता रखते है को प्राथमिकता दी जायेगी), की अधोलिखित तालिकानुसार न्यायिक अधिष्ठान अलीगढ़ में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के संभावित 10 रिक्त पद के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति और

(ख) चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग कर्मचारीगण में से ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो, की अधोलिखित तालिकानुसार न्यायिक अधिष्ठान अलीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संभावित 10 रिक्त पद के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति की जानी है।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए (यदि प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से न भरी जाये या 65 वर्ष की आयु पूर्ण न हो जाये या पूर्व में नोटिस द्वारा समाप्त न कर दी जाये या इनमें से जो पहले हो तक) की जायेगी। पुनर्नियुक्ति साक्षात्कार एवं सम्बन्धित कर्मचारी के पूर्व सेवा अभिलेख एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदनोंपरान्त की जायेगी।

पद नाम	अधिष्ठान में वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित रिक्तियाँ
वरिष्ठ सहायक(ग्रुप सी)	10
चपरासी (ग्रुप डी)	10

उक्त पद का वेतनमान तृतीय / चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम वेतन से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा।

आवेदक अपना आवेदन दिनांकः-03.07.2026 की सायं 04 बजे तक कोर्ट मैनेजर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

विज्ञप्ति समस्त सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग कर्मचारीगण के मध्य उपरोक्तानुसार परिचालित कराई जाये। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो। जनपद न्यायालय ,अलीगढ़ व मा० उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड करायी जाये।

अधिक जानकारी के लिए कोर्ट मैनेजर कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में 10.00 a.m – 05.00 p.m. तक सम्पर्क किया जा सकता है।

9.6.2026.

दिनांकः-9/06/2026

जनपद न्यायाधीश

जनपद न्यायालय अलीगढ़।